न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 34/2021

अपीलांट

जैसाराम पुत्र वरदारामजी, जाति कलबी, निवासी खेतलावास, तहसील सायला, जिला जालौर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती टमका कंवर पत्नी मोडसिह जी
2. पंकु कंवर पत्नी छतरसिंह, जातियान राजपुत, निवासीगण सुराणा, हाल हरमु, तहसील सायला, जिला जालौर।
3. केसाराम पुत्र प्रागाराम के कायम मुकाम–
   - 3/1. भोलाराम पुत्र केसाराम
   - 3/2. चन्दाराम पुत्र केसाराम
   - 3/3. फगलूराम पुत्र केसाराम
   - 3/4 नेकाराम पुत्र केसाराम
   - 3/5 सुजा देवी पुत्री केसाराम
   - 3/6 गीतादेवी पुत्री केसाराम
4. छगना पुत्र प्रागाराम
5. बगदाराम पुत्र पूनमाराम
6. घेवाराम पुत्र पूनमाराम
7. अमिया पुत्री पुनमाराम
8. झबू बेवा रदा, तमाम जातियान मेघवंशी, निवासी हरमू, तहसील सायला, जालौर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री विक्रमसिंह राव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री उतम कुमार गहलोत रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 15-07-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सायला द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 06/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2021 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 2/4

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा मौजा हरमू में स्थित आराजी खसरा संख्या 05 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने खेत पर पहुचने हेतु खसरा नम्बर 1, 2, 3 व 4 में से राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत रास्ता चाहा था जिसमे उपखण्ड अधिकारी सायला ने जांच रिपोर्ट भू. अभि. निरी. सुराणा द्वारा दो बार मंगवाई गयी जो दिनांक 25.10.2019 व 05.01.2021 को मंगवाई थी जिसे उपखण्ड अधिकारी ने सही नही मानते हुए तहसीलदार सायला द्वारा जांच रिपोर्ट को मान्य रखते हुए उसी अनुरूप आदेश पारित किया है। तथा विधि विरूद्ध आदेश जारी किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वर्णित तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलांट को अपनी सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय जारी किया गया है। व अपीलांट व अन्य खातेदारान जिनकी खातेदारी आराजी में सें रास्ते का आदेश पारित किया है। वह गरीब काश्त कार है। एवं अनुसूचित जन जाति के लोग है। हमारी भूमि का क्षैत्रफल भी कम हैं। उसके विपरित खसरा संख्या 08 के खातेदार जीवनदान वगेरा सक्षम व्यक्ति है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उनके पास अधिक भूमि है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि मातहत न्यायालय में पेश जबाव दावे के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्यों में स्पष्ट तौर से यह उल्लेख किया गया हैं कि खसरा संख्या 1 जो कि अनुसूचित जाति की अमिया वगैरा की खातेदारी हैं जिसमें से गलत रूप से रास्ता निकालने की कार्यवाही की जा रही है। नवीन खसरा संख्या 5 जो रेस्पो0 संख्या 1 टमका कंवर का है वह पुराने खसरा संख्या 3 से बना है जो छतरदान पुत्र रूपदान के खातेदारी का था तथा खसरा संख्या 5 के पूर्व दिशा में स्थित खसरा सख्या 8 जो पुराने खसरा संख्या 5 से बना है वह भी छतरदान पुत्र रूपदान के खातेदारी का था। छतरदान ने खसरा संख्या 5 को टमका कंवर को बेचान कर दिया था व खसरा सख्या 8 जीवनदान पुत्र खीमदान को बेचान कर दिया जो छतरदान के नजदीकी भाई है। इस प्रकार खसरा संख्या 5 जो पुराना था वह खसरा संख्या 6 से मिलता हुआ था तथा खसरा संख्या 6 के पास ही गांव हरमू से गांव खेतलावा जाने का रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध है। पुराने खसरा संख्या 6 से नया खसरा सख्यां 9 बना है तथा पुराने खसरा सख्या 6 व 3 दोनो एक ही व्यक्ति छतरदान के स्वामित्व के थे जिनसे नया खसरा संख्या 8 व 5 बना है। इस प्रकार रेकर्डेड रास्ता वर्तमान खसरा संख्या 9 के पूर्व दिशा में गांव हरमू से खेतलावास जा रहा है। उस रास्ते के खसरा संख्या 9 बिल्कुल ही लगता हुआ है। तथा उस खसरा संख्या की चौडाई मामूली सी है जो जीवनदान व टमका कंवर के खातेदारी के खेतों से मिलता है। पूर्व में भी छतरदान के खेत खसरा नम्बर पुराने संख्या 5 व 3 में आने जाने का रास्ता पुराने खसरा सख्या 6 मं सिथत हैं जिसके नये खसरा संख्या 9 बने है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 का खसरा संख्या 9 में से खसरा संख्या 8 में होतें हुए खसरा संख्या 5 में कानूनी नया रास्ता प्राप्त करने के हकदार थे क्योंकि इस रास्ते से मुख्य रास्ते की दूरी मामूली है जबकि वर्तमान में जो रास्ता दिया गया हैं वह काफी लम्बा है जो नक्शा ट्रेश 'अ' नये व पुराने में स्पष्ट तौर से जाहिर होता है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में भारी भूल की है। जो आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत अपीलांट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा हरमू में स्थित आराजी खसरा संख्या 05 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने खेत पर पहुचने हेतु खसरा नम्बर 1, 2, 3 व 4 में से राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत रास्ता चाहा था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिसमें तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट दिनाक 03.02.2021 में वर्णित है कि खसरा संख्या 05 में आवागमन हेतु जो 20 फिट रास्ते की मांग खसरा सख्या 1, 2, 3, 4 में की है। खसरा नम्बर 01 मे रहवासीय ढाणी बनी हुई है। तथा खसरा संख्या 2, 3, व 4 में 03 खेजड़ी के पेड़ है। तहसीदार की जांच रिपोर्ट के साथ आर0 आई0 सुराणा की मौका फर्द व जांच रिपोर्ट संलगन नही होने से प्रार्थीया वकील द्वारा पुनः जांच रिपोट व मौका फर्द मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दुबारा तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 की प्राप्त हुई जिसमें व पुरानी रिपोर्ट में अन्तर पाया गया जिस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर पिठासीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.04.2021 को तहसीलदार सायला के साथ मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता मांगा गया है वो सही है तथा इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। मौके पर खसरा संख्या 5 में पहुचने हेतु खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 से होकर ही नजदीकी रास्ता है। एवं खसरा सख्या 01 में कही पर भी रहवासिय ढाणी नहीं है। केवल मात्र तीन खेजड़ी का वृक्ष व लोहे की चदरो वाला खुला मुह का छपरा बना हुआ है जा ताजा है। यदि पहले बना हुआ होता तो जबाव प्रार्थना पत्र में भी कही भी रहवासी ढाणी व छपरा का उल्लेख अपीलांट द्वारा नही किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 03 खेजड़ी के पेडो व छपरा के लिए मुआवजा तय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत हैं अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा हरमू में स्थित आराजी खसरा संख्या 05 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने खेत पर पहुचने हेतु खसरा नम्बर 1, 2, 3 व 4 में से राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत रास्ता चाहा था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक रास्ता चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है। जिसमे किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी नजर प्रदर्शीत नही होती है। एवं कृषक समुदाय के लिए अपनी कृषि भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवागमन करने के लिए भी रास्ता अति आवश्यक सुविधा है। अतः आवागमन करने पर यह भी प्राकृतिक सुखाचार है। जिसे बाधित नहीं किया जा सकता है। अपितु इसकों और अधिक सुविधाजनक किया जाना चाहिए। (नेचुरल इजमेंट राईट) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर, सायला द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 06/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2021 को यथावत रखा जाता है, इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली